संक्षेप में

सिग्नेचर ग्लोबल ने 16 एकड़ जमीन खरीदी

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये में 16.12 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी मध्यम आय और प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की मांग को लेकर उत्साहित है। यह जमीन हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 71 स्थित साउथर्न पेरिफेरल रोड में है। सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल ने कहा, 'हमने प्रीमियम (महंगे घर) आवासीय परियोजना के विकास के लिए गुरुग्राम में 16 एकड़ जमीन खरीदी है।' उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कुल विकास क्षमता करीब 27-28 लाख वर्ग फुट क्षेत्र की होगी। भाषा

मैक्रोटेक डेवलपर्स ने बेंगलूरु में खरीदी जमीन

रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपनी विस्तार योजना के तहत 2,800 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना के विकास के लिए बेंगलूरु में लगभग 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। लोढ़ा ब्रांड के तहत अपनी संपत्तियों का विपणन करने वाली मुंबई स्थित मैक्रोटेक डेवलपर्स संयुक्त विकास के लिए भूमि मालिकों के साथ साझेदारी करने के साथ-साथ सीधी खरीद के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण कर रही है। सूत्रों ने बताया कि कुल में से लगभग 20 एकड़ भूमि बेंगलूरु में अधिग्रहीत की गई है। कंपनी ने भूमि का कुछ हिस्सा सीधे खरीद लिया है। *भाषा*

'अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यातायात दोगुना करेगी एयर इंडिया'

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 12 जनवरी

एयर इंडिया के कुल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से करीब 10 प्रतिशत भारतीय हवाई अड्डों को ट्रांजिट केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। विमानन कंपनी का इरादा अगले तीन साल में इस हिस्सेदारी को दोगुना करके लगभग 20 प्रतिशत करना है। कंपनी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) निपुण अग्रवाल ने रविवार को यह जानकारी दी।

अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हर साल करीब 13 करोड़ यात्री भारत होकर उड़ान भरते हैं। इनमें करीब 10 प्रतिशत ट्रांजिट यातायात का संचालन दुबई और करीब 7.5 प्रतिशत यातायात का संचालन दोहा में होता है। इसकी तुलना में इस समय दिल्ली इस ट्रांजिट यातायात के एक प्रतिशत से भी कम का संचालन करती है जिससे पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ा अवसर है।

उन्होंने कहा 'हम पहले ही भारत के पश्चिम में अपना यातायात बढ़ा चुके हैं। हमें भारत के पूर्व में, खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हमें और ज्यादा इंटरनैशनल-टु-इंटरनैशनल (आई2आई) यातायात मिल सके।'

अग्रवाल ने यूरोप-ऑस्ट्रेलिया कॉरिडोर के महत्त्व के बारे में बात की। इस पर भारतीय विमानन कंपनियों ने अभी तक ध्यान केंद्रित नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'हमने फ्रैंकफर्ट, लंदन और पेरिस जैसे पश्चिमी गंतव्यों के लिए अपनी उड़ान के समय को मेलबर्न और सिडनी जैसे पूर्वी गंतव्यों के साथ मिलाने का प्रयास किया है।' उन्होंने बताया कि विमानन कंपनी के कुल अंतरराष्ट्रीय यातायात में आई2आई की हिस्सेदारी फिलहाल करीब 10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगले तीन साल में यह हिस्सेदारी बढ़कर 15 से 20 प्रतिशत हो जाएगी। हमारी यही आकांक्षा है। यही हम हासिल करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि साल 2019-20 से विमानन कंपनी का फ्रंट केबिन (बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकॉनमी) से कुल राजस्व 2.3 गुना बढ़ा है जबकि बैक केबिन (इकॉनमी क्लास) से राजस्व 1.6 गुना बढ़ा है।

उन्होंने कहा 'इसी वजह से हम वाइडबॉडी वाले विमानों में फ्रंट केबिन सीटों (बिजनेस, प्रीमियम इकॉनमी वगैरह) की संख्या बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव पूरा होने के बाद हमारे पास आज की तुलना में फ्रंट केबिन सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। लिहाजा, इन विमानों से होने वाली आय में खासा इजाफा होगा।' विमानन कंपनी इस साल जून या जुलाई से अपने मौजूदा वाइडबॉडी विमानों को इस बदलाव के लिए भेजना शुरू कर देगी। एयर इंडिया ने यूएई और कतर जैसे देशों के लिए द्विपक्षीय अधिकारों को बढ़ाने का लगातार विरोध किया है और कहा है कि उनकी विमानन कंपनियां भारत से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के यातायात के बड़े हिस्से के लिए अपने केंद्रों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बताया, 'हम पहले ही अपनी स्थिति काफी स्पष्ट कर चुके हैं। अगर हमारा इरादा अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना है, तो हमें अपने केंद्रों (दिल्ली, मुंबई वगैरह) को मजबूत करने की जरूरत है। तैनात की जा रही क्षमता इन केंद्रों (दुबई, दोहा वगैरह आदि) से आगे बढ़ रही है।

> **हम पहले ही भारत के पश्चिम में अपना यातायात बढ़ा चुके हैं। हमें भारत के पूर्व में, खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ावा देने की जरूरत है**
>
> **निपुण अग्रवाल,** मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, एयर इंडिया

बड़े व्यावसायिक घराने कर रहे तैयारी

इस साल शुरू होंगे नए ऊर्जा कारोबार

अमृता पिल्लै
मुंबई, 12 जनवरी

कंपनियों के अधिकारियों और विश्लेषकों के अनुसार भारत के कुछ सबसे बड़े समूह 2025 में अपनी नई ऊर्जा परियोजनाओं के पहले चरण को या तो चालू करने या व्यावसायिक रूप से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तेल एवं दूरसंचार फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल), सज्जन जिंदल प्रवर्तित जेएसडब्ल्यू समूह और इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) ऐसे समूह हैं जिनके अल्पावधि में नए ऊर्जा-संबंधी व्यवसायों के विस्तार या चालू होने की उम्मीद है।

एलऐंडटी में एलऐंडटी एनर्जी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख डेरेक एम शाह ने कहा, 'एलऐंडटी को कांडला पोर्ट पर अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन डेमोंस्ट्रेशन प्लांट के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी से ईपीसी ऑर्डर मिला है, जिसमें एलऐंडटी के स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रो लाइजर की आपूर्ति भी शामिल है।'

सीएलएसए के विश्लेषकों ने आरआईएल जैसी अन्य कंपनियों के बारे में एक ताजा रिपोर्ट में कहा, 'हमें उम्मीद है कि रिलायंस की सोलर गीगा-फैक्टरी 2025 के शुरू में आरंभ हो जाएगी और अगले 12-15 महीनों में इसमें अन्य क्षमता जोड़ ली जाएगी।' आरआईएल ने शुरू में 2024 के अंत तक इस गीगा फैक्टरी का चरणबद्ध तरीके से परिचालन शुरू होने का अनुमान जताया था।

नई परियोजनाएं

- **आरआईएल, एलऐंडटी और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां अल्पावधि में ऊर्जा से जुड़े नए कारोबार शुरू कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं**
- **विश्लेषकों को उम्मीद कि आरआईएल की सोलर गीगा फैक्ट्री 2025 के शुरू में चालू हो जाएगी**

जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अधिकारियों ने अक्टूबर में विश्लेषकों को बताया था कि उसके 3,800 टन क्षमता वाले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है और मार्च 2025 तक यह चालू हो सकता है। इस समय-सीमा के बारे में जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भेजे गए ईमेल संदेश का जवाब नहीं मिला है।

भारत के कई बड़े व्यावसायिक समूह बदलते ऊर्जा परिदृश्य के साथ उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए ऊर्जा व्यवसायों पर दांव लगा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जिंदल ने एजीएम में शेयरधारकों से कहा, 'अपनी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं और ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उप-उत्पादों की मदद से हम नए दौर के व्यवसायों के साथ ऊर्जा उत्पाद और सेवा कंपनी हैं।'

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking)
आपकी प्रगति का साझा साथी Good people to grow with
www.iob.in

एम.पी. नगर शाखा : 12 एस.बी.आई. कालोनी, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल
फोन : 0755-2578842/2558983
Email:iob1115@iob.in

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले को, जमानतदार को और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है, ''जो है जैसा है'' और जो कुछ भी है'' के आधार पर **ऋणी (1) मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज** यूनिट स्थित : प्लॉट नंबर 27-सी, सेक्टर-एच, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल(म.प्र.)-462023 द्वारा प्रतिनिधित्व **प्रोपराइटर- श्री बृजपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह** पताः बी-43 मीनाल रेसीडेंसी जे के रोड, भोपाल (म.प्र.)-462023 **(2) श्री शिवपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह पता-** डी-399 मीनाल रेसीडेंसी जे.के रोड भोपाल-462023 (म.प्र.) **अन्य पताः** जीटी 76, अविनाश कैपिटल रायपुर छत्तीसगढ़-492001 **अन्य पताः** मकान नं. जीटी 328, कैपिटल होम्स, साढ़ू रायपुर, साइंस सेंटर रोड रायपुर छत्तीसगढ़ 492001 से **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार)** की **₹ 9,05,72,992/-** (रु. नौ करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार नौ सौ बानवे मात्र) (दिनांक **10.01.2025** को) की बकाया राशि एवं उस पर अप्रभारित ब्याज / संविदात्मक दर से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे तथा अन्य वैधानिक /विधिक खर्च की वसूली हेतु दिनांक **30 जनवरी 2025** को बेचा जाएगा।

आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि नीचे वर्णित व्यक्तिगत अनुसूचित संपत्ति के लिए नीचे दी गई है।

चल/अचल संपत्तियों का विवरण

अनुसूची-1: मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर- श्री बृज पाल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व की संपत्ति
(1) प्लॉट नंबर 167-बी, क्षेत्रफल- 4000 वर्गफिट, प्लॉट नंबर 167-सी, क्षेत्रफल- 7000 वर्गफिट, प्लॉट नंबर 27-एफ क्षेत्रफल- 5850 वर्गफिट, प्लॉट नंबर 27-जी क्षेत्रफल- 9100 वर्गफिट अर्थात कुल क्षेत्रफल- 25950 वर्गफिट स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.)
उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 31.03.2005 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 वाल्यूम नं. ए-1/22082, दस्तावेज नं. 4513 के समक्ष निर्धारित की गई है।
(2) प्लॉट नंबर 167-बी, प्लॉट नंबर 167-सी, प्लॉट नंबर 27-एफ एवं प्लॉट नंबर 27-जी से लगी हुई भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 15601 वर्गफिट है स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.)
चर्तुसीमाएं- उत्तर में:
1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सीः खुली भूमि, 2- प्लॉट नंबर 27-एफ, 27-जीः सड़क,
दक्षिण में-1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167- सीः रोड, 2- प्लॉट नंबर 27-एफ, 27-जीः प्लॉट नंबर 169, 170 और 171-ए,
पूर्व में- 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सीः प्लॉट नंबर 167-ए , 2- प्लॉट नंबर 27-एफ, 27-जीः प्लॉट नंबर 27-ई,
पश्चिम में- 1- प्लॉट नंबर 167-बी, 167-सीः नाला, 2- प्लॉट नंबर 27-एफ, 27 -जी : नाला
उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 16.06.2014 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 वाल्यूम नं. ए-1/1602, दस्तावेज नं. जी-1/568 के समक्ष निर्धारित की गई है।
(3) प्लॉट नंबर 27 जी एवं प्लाट नं. 27-एफ से लगी हुई भूमि, क्षेत्रफल 2196 वर्गफिट स्थित औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर- एच, गोविंदपुरा, नगर निगम वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.)
चर्तुसीमाएं-पूर्व - प्लॉट नंबर 171-ए (मैसर्स गुरु गोविंद इंजीनियरिंग) पश्चिम- नाला, उत्तर-प्लॉट नंबर 27-जी और 27-एफ (मैसर्स पाल इंडस्ट्रीज), दक्षिण-प्लॉट नंबर 169-169-ए (मैसर्स बाबा इंजीनियरिंग कंपनी)
उपरोक्त वर्णित भूमि एवं अन्य उपकरण तथा सामान पंजीकृत लीज डीड दिनांक दिनांक 31.03.2015 को उप पंजीयक कार्यालय, भोपाल-3 वाल्यूम नं. ए-1/2230, दस्तावेज नं. जी-1/4604 के समक्ष निर्धारित की गई है।
आरक्षित मूल्य (आयकर का 1% सहित): रु.4,04,04,100/- (चार करोड़ चार लाख चार हजार एक सौ मात्र)
धरोहर राशि जमाः रु. 40,40,410/- (चालीस लाख चालीस हजार चार सौ दस मात्र)
बिड वृद्धि राशि : रु.25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र)

अनुसूची-2: मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर- श्री बृज पाल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व की चल संपत्ति
संपूर्ण प्लांट और मशीनरी/स्क्रैप, इन्वेंट्री, उपकरण और इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य उपयोगी सामान जो कि मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज प्लॉट क्रमांक 167-बी, 167-सी, 27-एफ, 27-जी तथा प्लॉट क्रमांक 167-बी, प्लॉट क्रमांक 167-सी तथा प्लॉट क्रमांक 27-एफ, प्लॉट क्रमांक 27-जी की समीपवर्ती भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-एच, गोविंदपुरा, नगरपालिका वार्ड क्रमांक 65, तहसील- हुजूर, भोपाल (म.प्र.) के परिसर में रखे/ लगे हुए /स्थापित है।
आरक्षित मूल्यः रु. 95,20,000/- (पिन्चानवे लाख बीस हजार मात्र)
धरोहर राशि जमाः रु.9,52,000/- (नौ लाख बावन हजार मात्र)
बिड वृद्धि राशि : रु.25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
(उक्त प्लांट एवं मशीनरी/स्क्रैप एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य लागू कर एवं शुल्क, यदि कोई हों, क्रेता द्वारा वहन किए जाने होंगे।)

उपरोक्त बंधक संपत्तियों (अनुसूची-1 और 2) को मेसर्स वियाक सेल्स (मालिक- श्री विकास सिंह, पुत्र बृज पाल सिंह) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए बंधक के माध्यम से कोलेट्रल सिक्यूरिटीज के रूप में विस्तारित किया जाता है।
ज्ञात भार यदि कोई हो: बैंक की जानकारी के अनुसार शून्य
***स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल आदि) का बकाया**
1. एम.पी.एम.के.वी.वी. कंपनी लिमिटेड ने ऋण लेने वालों से बिजली खपत के लिए बकाया राशि के रूप में 21,11,234/- रुपये का दावा किया है (पत्र दिनांक 11.10.2023 के अनुसार)
2. डी.आई.सी., भोपाल ने ऋण लेने वाले मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज से भूमि किराया बकाया के रूप में 26,910/- रुपये और वित्तीय सहायता के रूप में 12% दंडात्मक ब्याज के साथ 42,54,000/- रुपये का दावा किया है (पत्र दिनांक 20.11.2024 के अनुसार)
*बैंक का बकाया (दिनांक 10.01.2025 तक 9,05,72,992/- रुपये) एम.पी.एम.के.वी.वी. कंपनी लिमिटेड के उपर्युक्त बिजली बकाया और डी.आई.सी., भोपाल द्वारा दावा किए गए बकाया पर प्राथमिकता रखता है। बैंक का बकाया कानून के प्रावधान के अनुसार विनियोजित किया जाएगा।
*** बैंक की देनदारियों को वैधानिक देनदारियों पर प्राथमिकता दी जाती है।**
ई-नीलामी की दिनांक एवं समयः 30.01.2025 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक 10 मिनिट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ जब तक कि विक्रय पूरा न हो जाये प्लेटफार्म https://baanknet.com. पर संपन्न होगी।
विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्ते हेतु निम्नवर्णित वेबसाइट / वेबपेज पोर्टल की लिंक देखें : www.iob.in एवं BAANKNET portal i.e. https://baanknet.com
नोट - यह नोटिस प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/नियम 8(6)/ नियम 9 (1) के अन्तर्गत ई-नीलामी आयोजित करने हेतु उक्त ऋणी / जमानतदारों को उक्त वर्णित दिनांक पर नीलामी की सूचना भी है।
स्थान : भोपाल **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 10.01.2025

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति / यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी-बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001, फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, 131/8, मेन रोड, जोन 2, एमपी नगर, झूनरवाला के समीप, भोपाल- 462011, मध्य प्रदेश

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या-ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका **पंचनागत/भौतिक अधिग्रहण** मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, "जैसी **है जहां हैं, जैसी है जो है और वहां जो कुछ भी है आधार"** पर बेचा जाएगा।
एतद्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या-ए में निदर्शितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम-8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.pnbhousing.com में दिये गये लिंक को देखें।**

ऋण सं./उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ गारंटर / विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात चरणबद्धता / भावाकलनी प्रक्रण, यदि कोई, (के)
HOU/GRP/0215/212925 संजीव कुमार मिश्रा / रीता मिश्रा बी.ओ : ग्रीनपार्क	रु. 28,26,368.41/- तथा 31-03-2021	भौतिक	ब्लॉक 5 707, 7, ओपल ओरिस (होल्ड) सि. नं. 8, 6/2/2/2, 10, 9/1/2, 24/376/10/1/2, ग्राम मिसरोड़, तहसील हुजूर, जनपद भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत- 462001	रु. 26,59,000/-	रु. 2,65,900/-	30.01.2025	रु. 10,000/-	13.01.25 को 10.00 से 05.30 बजे	31.01.2025 को 2.00 से 3.00 बजे	अज्ञात

***आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या – के में प्रकटीकृत विषय-सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें।**
(1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं. – 'के' में वर्णन किया गया है।
(2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं. – 'के' में वर्णित, की कार्यावाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिचयन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
(3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25: (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25: राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75%ए बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आशिंक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा।
(4) मैसर्स पीएनबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिये, आपको श्री पवन कुमार जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.- 1800 120 8800 एवं ई-मेल : auction@pnbhousing.com पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करना होगा।
स्थान : भोपाल, दिनाँक : 13-01-2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालयः छठवीं मंजिल, बी-बिल्डिंग, गंगा टूनो बिजनेस पार्क, लोहेगॉव, पुणे-411014
परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, **गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात चूंकि पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का नाम 17 नवम्बर, 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है (पूर्व में मैगमा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात तथा मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनैंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से गठित)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी, जिसे यहां बाद में ऊपरोक्त कॉरपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के प्रत्यभूत ऋणदाता के रूप में कहा गया है ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे यहां बाद में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा कथित अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत निम्नलिखित दिनांकित मांग सूचना जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।
कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने **7 जनवरी, 2025** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष तौर पर कर्जदारों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा संबंधित रकम तथा उस ब्याज की राशि हेतु प्रत्यभूत ऋणदाता के प्रभार का विषय होगा। प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के संबंध में उपलब्ध समय के बारे में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लेखित है:

क्र. सं.	कर्जदारों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तारीख	संवैधानिक मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में रकम (रु.)
1.	जीतेन्द्र राजू बाई बद्रीलाल, कुसुम चौधरी	सर्वे सं. 636, पटवारी हल्का नं. 9, ग्राम परसोली, तहसील माकदोन और जिला उज्जैन में 3392 वर्ग फीट परिमाप का प्लॉट/मकान नं. 48 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। **प्लॉट की चौहद्दी:- पूर्व-** शिवनारायण का मकान **पश्चिम-**गंगाबाई **उत्तर-**लक्ष्मीनारायण जी की भूमि **दक्षिण-**आम सड़क।	07/01/2025	07/08/2024	**ऋण सं. HF0180H21100634** रु. 9,16,096/- (रुपये नौ लाख सोलह हजार छियानवे) मात्र **दिनांक 07/08/2024** को भुगतेय साथ में वसूली तक सालाना 17.50% की दर से ब्याज।
2.	लाल सिंह, निर्मला बाई लाल सिंह	सर्वे क्रमांक 1002, पटवारी हल्का क्रमांक 07, ग्राम टुकराल, तहसील माकदोन एवं जिला उज्जैन में 741 वर्ग फीट परिमाप का प्लॉट/मकान नं. 507 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्लॉट की चौहद्दी:- **पूर्व-** आम सड़क **पश्चिम-**मांगीलालजी का मकान **उत्तर-** बनेसिंह का मकान **दक्षिण-** रामसिंह का मकान।	07/01/2025	07/08/2024	**ऋण सं. HF0180H21101280** रु. 8,42,406/- (रुपये आठ लाख बयालीस हजार चार सौ छह) मात्र **दिनांक 07/08/2024** को भुगतेय साथ में वसूली तक सालाना 16.25% की दर से ब्याज।

स्थान : मध्य प्रदेश, तारीख : 13.01.2025 **हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**